

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या: /प्रवर्तन/दो-48 (2)/निर्देश/2014

दिनांक: १५ नवम्बर, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य सरकार के विशिष्ट एंव अति विशिष्ट महानुभावों और राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए शासकीय वाहनों के क्रय के सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा प्रारूपित नीति के शासनादेश संख्या-65/IX-1/2013/215/2011 दिनांक 17 जनवरी, 2013 के क्रम के कार्यालय द्वारा जारी निर्गत पत्र संख्या-3805/प्रवर्तन/दो-48/2013 दिनांक 01 अगस्त, 2013 जारी किया गया था।

शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-523/IX-1/215(2011)/2014 दिनांक 20 अक्टूबर, 2013 द्वारा उक्त निर्देश पत्र -3805/प्रवर्तन/दो-48/2013 दिनांक 01 अगस्त, 2013 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखने के निर्देशों के क्रम में उक्त निर्देश पत्रे का कार्यान्वयन अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या-५२३ प्रवर्तन/दो-48 (2)/निर्देश/2014 समदिनांकित

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— उप सचिव, परिवहन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3— समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) उत्तराखण्ड।
- 4— सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय।

अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।